FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

.... किशनाराम .... बनाम .... भंवरलाल गोयल

किस्म मुकदमा रा. काश्त. 111,128 RLRAct नं. 145/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/07/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोस्वामी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/08/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर	
17/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या- 3 व 4 की ओर से वकील श्री नरपत सिंह द्वारा वकालत पैरवी की गई, शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-22/09/2020 को पेश हो।	मैं बतौर विप्रार्थी 3 व 4 के वकील उपस्थित हूँ (हस्ताक्षर) (नरपत सिंह एडवो.)

हुक्म कार्यवाही

22/09/2020 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/10/2020 को पेश हो।

14/10/2020 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 24/02/2021 को पेश हो।

24/02/2021 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/06/21 को पेश हो।

08/06/2021 — पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 13/08/2021 को पेश हो।

13/08/2021 — पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 12/10/2021 को पेश हो।

12/10/2021 — प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 3 व 4 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-3 व 4 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-16/02/2022 को पेश हो।

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी संख्या 3 व 4 के वकील द्वारा वकालातनामा व जवाब पेश नही किया गया, आईंदा पेश करना चाहते है, पूर्व मे पर्याप्त अवसर दिये गये पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकालातनामा व जवाब पेश नही करने पर विप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है, शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित, जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/04/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

नांक / वाद / 2022 / 385

दिनांकः– 27/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. किरपाराम पुत्र हिमताराम वगैरा 5, जाति जाट, निवासी रामपुरा, पटवार मण्डल बाटाडू, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. भीखाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 11, जाति जाट, निवासी रामपुरा, पटवार मण्डल बाटाडू, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 145 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रामपुरा, पटवार हल्का – बाटाडू, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1730 / 1700 रकबा 216.00 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 27/04/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 386 – 90

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किरपाराम पुत्र हिमताराम वगैरा 5,
4. विप्रार्थी श्री भीखाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 11,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO)